



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19703

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1114/2026

राजीव कुमार गुप्ता.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: सुधाकर यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधाकर यादव और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की दलीलें सुनी गईं।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें दिनांक 14.10.1997 को मत्स्य निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था, 06.04.2006 को वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया, दिनांक 13.06.2022 को उन्होंने सहायक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया, और दिनांक 23.09.2024 को रिट याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली; हालांकि, रिट याचिकाकर्ता को जीपीएफ की राशि, ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी पर 12% ब्याज, और अन्य सेवानिवृत्ति बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करें।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या-2, यानी निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ द्वारा किया जाना आवश्यक है।
5. इस निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है।
6. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह इस रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या-2 के समक्ष प्रस्तुत करें; प्रतिवादी संख्या-2, उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा कानून के अनुसार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह के भीतर करेगा। यदि प्रतिवादी संख्या-2 की यह राय है कि इस मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, तो कागजात उसी को भेज दिए जाएंगे।

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना ही किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।
8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

आशु

Translated version. Not for Legal Use.

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”